राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(490)एम.ई./ग्रुप-1/2017 जयपुर, दिनांक : 23 AUG 2018

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(119)एम.ई./ग्रुप-1/2005 दिनांक 15.12.2017 के द्वारा डॉ0 अंशुल पाटोदिया (मेरिट क्रमांक R-02/सामान्य,जन्म तिथि 21.06.1982) को सहायक आचार्य, कार्डियोलोजी के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, अजमेर में किया गया था। नियुक्ति आदेश के अनुसार डॉ0 पाटोदिया को आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह की समयावधि मे पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना था।

डॉ0 अंशुल पाटोदिया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यभार ग्रहण काल में अभिवृद्धि हेतु अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(490)एम.ई./ग्रुप-1/2017 दिनांक 12.01.2018 के द्वारा डॉ0 पाटोदिया के कार्यभार ग्रहण काल में दिनांक 10.02.2018 तक की अभिवृद्धि की गयी। डॉ0 पाटोदिया द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नही किया जाकर कार्यभार ग्रहण काल में पुनः अभिवृद्धि का अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(490)एम.ई./ग्रुप-1/2017 दिनांक 09.02.2018 के द्वारा डॉ0 पाटोदिया के कार्यभार ग्रहण काल में दिनांक 10.03.2018 तक की अभिवृद्धि की गयी। डॉ0 पाटोदिया द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नही किया जाकर कार्यभार ग्रहण काल में पुनः अभिवृद्धि का अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में विभाग के रजिस्टर्ड नोटिस पत्र क्रमांक प. 1(490)एम.ई./ग्रुप-1/2017 दिनांक 21.03.2018 द्वारा डॉ0 पाटोदिया के कार्यभार ग्रहण काल में 01 माह (दिनांक 10.04.2018) की अभिवृद्धि कर उनको निर्धारित समयावधि में पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण हेतु सूचित किया गया। नोटिस में यह भी अंकित किया गया कि यह अभिवृद्धि आपको अन्तिम बार प्रदान की जाती है। अतः निर्धारित समयावधि में पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण कर इस विभाग को सूचित करे, अन्यथा आपकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक, मेडिकल कॉलेज अजमेर के पत्रांक 35382/संस्थापन-1/एमसीए/2018 दिनांक 26.07.2018 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार डॉ0 अंशुल पाटोदिया ने दिनांक 26.07.2018 तक सहायक आचार्य, कार्डियोलोजी के पद पर कार्यभार ग्रहण नही किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि डॉ0 अंशुल पाटोदिया नवनियुक्ति पर कार्यग्रहण करने के इच्छुक नहीं है। अतः डॉ0 पाटोदिया के द्वारा नवनियुक्ति पर पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नही करने के फलस्वरूप इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(119)एम.ई./ग्रुप-1/2005 दिनांक 15.12.2017 के द्वारा उनका सहायक आचार्य, कार्डियोलोजी के पद पर नियुक्ति हेतु जारी आदेश एतदद्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(119)एम.ई./ग्रुप-1/2005 दिनांक 15.12.2017 के संदर्भ में।
4. प्रधानाचार्य एवं नियत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर को उनके पत्रांक 35382 दिनांक 26.07.2018 के संदर्भ मे।
5. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. डा0 अंशुल पाटोदिया पुत्र श्री जुगल किशोर पाटोदिया, 8/271, मालवीय नगर, जयपुर (राज.) **(रजिस्टर्ड डाक से)**।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव